संख्या-100/2017/2230/22-2-2016-17(403)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासनएवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2017***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र यादव पुत्र श्री लाल बहादुर यादव, निवासी-जनपद-रायबरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42496/प्रोबेशन-(I)/12/2016, दिनांक 30-11-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्येन्द्र यादव पुत्र श्री लाल बहादुर यादव, निवासी-ठोकरी, थाना-कोतवाली, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दिनांक 02-08-2004 को 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-58/2005, 105/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट व 3:25 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, स्पेशन जज, गैंगेस्टर एक्ट, लखनऊ द्वारा दिनांक 05-12-2008 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.06.2016 तक 11 वर्ष 10 माह 06 दिन की अपरिहार एवं 14 वर्ष 04 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 49 वर्ष है। बन्दी का जेल आचरण असन्तोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: भविष्य में अपराध करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मिस0 बेंच संख्या-8847/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2016 का संगत अंश निम्नवत् उद्धृत है:-

1. This petition seeks issuance of a writ in the nature of Mandamus directing respondents to consider the claim of the petitioner for premature release under Para 195 of U.P. Jail Manual.

2. None has appeared on behalf of the petitioner to prosecute the case.

3. Sri Rajendra Kumar Dwivedi, learned counsel appearing for the respondents has given an assurance to the Court that the respondents would consider the claim of the petitioner within three months from today.

4. In view of the assurance given by learned counsel for the respondents, the petition is disposed of.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. The decision taken by the respondents be conveyed to the petitioner.

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 जेल मैनुवल के प्रस्तर-195 के अन्तर्गत समयपूर्व रिहाई हेतु 14 वर्ष की अपरिहार सजा काटने की अनियवार्यता है। याची/बन्दी सत्येन्द्र यादव द्वारा दिनांक 12-06-2016 तक 11 वर्ष 10 माह 06 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है। अस्तु उक्त प्रस्तर-195 के अन्तर्गत याची/बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार नहीं किया जा सकता है। अत: बन्दी/याची की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने पर विचारण किया गया है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सत्येन्द्र यादव (बन्दी संख्या-152/09) पुत्र श्री लाल बहादुर यादव, निवासी-जनपद-रायबरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-100/2017/2230/(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।